बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

क्रमांकः– प. 24 / बा.शि.फा. / आपकी बेटी / 2021 / 1880-1946 जयपुर, दिनांक :– 5/1/22

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक / माध्यमिक (मुख्यालय)

विषयः– वर्ष 2021–22 में "आपकी बेटी योजना" के अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के प्रस्ताव दिनांक 20.01.2022 तक भेजने के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि साधन विहीन बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने, राजकीय विधालयों में नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने एवं साधनहीन बालिकाओं को शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उदेश्य से 'आपकी बेटी योजना' राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पत्र 1(18) / शिक्षा–1 / प्राशि / 2004 जयपुर दिनांक 22.02.2005 के द्वारा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के वितीय सहयोग से संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प 01(18) / प्राशि / आयो / 2019 / दिनांक 31.05.2019 के अनुसार सत्र 2019–20 से **राजकीय विधालयों मे अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 की बालिकाओं को 2100 रूपये तथा 9 से 12 बालिका को 2500 रूपये** की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

आपकी बेटी योजना के तहत बालिका शिक्षा फाउण्डेशन के द्वारा वर्ष 2019–20 से कक्षा 01–12 में **राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाएँ, जिनके माता–पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, तो ऐसी बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।**

अतः सत्र 2021–22 के लिए **आपकी बेटी** योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं की सूची दिनांक **20.01.2022** तक सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015 को अद्यतन सूची, हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में निर्धारित दिनांक तक निम्न प्रारूप में वाहक के साथ भिजवाई जानी हैः–

क्र. सं.	छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का ब्लॉक	कक्षा	बी.पी. एल. नम्बर	माता / पिता किसका निधन हुआ	बैंक खाता संख्या	IFS कोड	बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोटः– उक्त सूची अग्रेजी में टाईप कर भिजवानी है। हिन्दी में भेजी गई सूची स्वीकार नही की जायेगी। उपरोक्त प्रारूप में कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 की सूची अलग–अलग तैयार कर भेजनी है, ध्यान रहे कि सूची मे सभी कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से कि जावे तथा **निजी विधालयों की बालिकाओं को उक्त योजना में सम्मिलित नहीं किया जावे।** योजना की राशि बालिकाओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जावेगी अतः बैंक खाते का विवरण आवश्यक रूप से जांच करके ही भेजा जावे गलत खाते के विवरण की वजह से यदि बालिका के खाते मे राशि स्थानान्तरित नहीं हो पायेगी तो इस का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वंय का होगा।

संलग्नः–

3. आवेदन पत्र प्रारूप
4. योजना की मार्गदर्शिका

(डॉ. भारती वर्मा)
सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन

Scanned by Scanner Go

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

एकलव्य भवन, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

आपकी बेटी योजना
आवेदन–पत्र सत्र 2021–22

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाएं, जिनके माता– पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाओं के लिए।

1	छात्रा का नाम	
2	पिता का नाम	
3	माता का नाम	
4	राजकीय विद्यालय का नाम	
5	राजकीय विद्यालय का ब्लॉक	
6	कक्षा	
7	जन्मतिथि	
8	घर का पता	
9	बी.पी.एल. कार्ड नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
10	माता या पिता अथवा दोनों के निधन का मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करें	
11	अनु. जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य	
12	बैंक का नाम एवं शाखा	
13	खाता संख्या एवं आई.एफ.एस. कोड	

छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर
मय मोहर

जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी .... जो कि कक्षा .... में अध्ययनरत है उक्त छात्रा आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने की पात्रता रखती है। अतः छात्रा को आर्थिक सहायता प्रदान करने की अभिशंषा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
मय मोहर

Scanned by Scanner Go